

‘ऑटो अपील सॉफ्टवेयर’ का कॉपीराइट

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' के लिये "कॉपीराइट" के अधिकार को हासिल कर लिया है।

- हरियाणा आरटीएस आयोग ने वर्ष 2022 में कॉपीराइट के लिये आवेदन किया था, जिसे 20 मार्च, 2024 को प्रदान किया गया।

मुख्य बटु:

- AAS (वर्ष 2021 में लॉन्च)** भारत में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर है, जिसके कारण शिकायतकर्ता को अपील दायर करने के लिये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
- AAS के माध्यम से 27 मार्च 2024 तक कुल 11,70,766 अपीलों दर्ज की गईं, जिनमें से 11,56,595 अपीलों का नपिटारा भी कर दिया गया है।
- AAS में अपीलों की नपिटान दर 98.8% है।
- हरियाणा अपने नागरिकों को यह सुवधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है।
- कॉपीराइट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो किसी मूल कार्य के नरिमाता या किसी अन्य अधिकार धारक को कार्य की प्रतिलिपि बनाने, वतितरति करने, अनुकूलति करने, प्रदर्शति करने और प्रदर्शन करने हेतु वशिष तथा कानूनी रूप से संरक्षति अधिकार प्रदान करता है।

कॉपीराइट

- कॉपीराइट का तात्पर्य साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों के साथ-साथ सनिमैटोग्राफ फलिमों तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग के नरिमाताओं को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा से है।
 - वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधनियिम का उद्देश्य इन रचनात्मक कार्यों को उनके रचनाकारों की बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षति रखना है।
 - पेटेंट के मामले के वपिरीत, यह वचिारों के बजाय वचिारों की अभवियक्तको सुरक्षा प्रदान करता है।
 - कॉपीराइट (संशोधन) नयिम 2021 को कॉपीराइट के अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप लाने के लिये कार्यान्वति किया गया था।
- कॉपीराइट मालिकों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें नषिधाज्जा, क्षति जैसे उपाय शामिल हैं।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

- इसका गठन राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई 2014 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।
- यह हरियाणा सेवा का अधिकार अधनियिम, 2014 की धारा 12(1) और (2) के तहत गठति एक वैधानिक निकाय है।
- आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम चार आयुक्त होते हैं, जो हरियाणा सेवा का अधिकार अधनियिम, 2014 के प्रभावी कार्यान्वयन की नगिरानी करते हैं।
- HRTS अधनियिम, 2014 लोगों को एक प्रभावी सेवा वतितरण तंत्र के माध्यम से परेशानी मुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अधकिंश सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार प्रदान करता है।